उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
पो. गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404
दूरभाषः 01334-244282, फैक्सः 244282
वैबसाइटःukpsc.gov.in

पत्रांक 380 दिनांक 17/7/18

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को छद्म नामों से अनेक असत्य व आधारहीन लिखित शिकायतें प्राप्त हो रहीं हैं।

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को भविष्य में प्रेषित की जाने वाली लिखित शिकायतों को शिकायतकर्त्ता निम्नलिखित अभिलेखों में से किसी एक की सत्यापित प्रति के साथ ही भेजें:–

(क) आधार कार्ड।

(ख) वोटर पहचान प्रमाण पत्र।

(ग) पासपोर्ट (पारपत्र)/ड्राइविंग लाइसेंस

3. शिकायतकर्त्ता अपने वास्तविक नाम एवं पते को सत्यापित करने तथा पूर्ण हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही शिकायती पत्र प्रेषित करें।

4. सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रेषित की जाने वाली शिकायतें शपथ–पत्र पर होनी चाहिए।

5. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग बिना सत्यापित पहचान पत्र के किसी नामरहित एवं पते रहित शिकायती पत्र का संदर्भ ग्रहण नहीं करेगा तथा तत्काल बिना किसी कार्यवाही के निक्षेपित कर दिया जायेगा

6. आयोग को प्रेषित किये जाने वाले लिखित शिकायती–पत्रों में शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायत की पुष्टि में समुचित साक्ष्य भी संलग्न कर प्रेषित करेंगे।

ह0

सचिव

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,